

2019/00165

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान..... हरदेव बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा धारा-225 अपील संख्या 106/2019

अभिभाषक अपीलान्ट श्री ओमप्रकाश खंडेलवाल अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्रीगवाल प्रसाद पाधीय

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
---------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------

24/7/24.

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय के संज्ञान में आया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्र.स. 100/2016 उनवान ओमप्रकाश बनाम सत्यनारायण के आदेश दिनांक 23.12.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। वर्तमान में यह पत्रावली रेकार्ड तलबी हेतु जैरकार है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय अंता द्वारा दिनांक 06.09.2021 को अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है उक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय दिनांक 06.09.2024 की अपील इस न्यायालय में जैरकार होने से इस अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः यह अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।


ममता
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



श्री जोगेंद्रकाश अर्पितकानक

क्र. 27/6/19 दि. 27-12-16

श्री जोगेंद्रकाश अर्पितकानक
पत्रा की / P-5 सा. राजकाश का
जम्पूर पत्रा 27/6/19



श्री जोगेंद्रकाश अर्पितकानक
पत्रा की / P-5 सा. राजकाश का
जम्पूर पत्रा 27/6/19

(भावना राघव गुर्जर)
मुख्य अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.) 27/6/19

न्यायालय भाप्रबन्धा अधिकारी पदेन राजस्व अमील अधिकारी

कोटा केम्प, बारां

1. हरदेव पुत्र श्री विशाना आयु 75 साल जाति कुम्हार निवासी रूपपुरा
तहसील अन्ता जिला बारां राज्
2. सत्यनारायण पुत्र हरदेव आयु 55 साल जाति कुम्हार निवासी रूपपुरा
तहसील अन्ता जिला बारां --अमीलान्त/प्रातिक्षीगण

बनाम

1. ओम्पकाश पुत्र हरदेव उम्र 50 साल जाति कुम्हार निवासी रूपपुरा
तहसील अन्ता जिला बारां --रेस्पों/प्राथार्
2. राज् सरकार ज्ये तहसीलदार अन्ता -- रेस्पों/प्राथार्

श्री जोगेंद्रकाश अर्पितकानक अधिकारी महो अन्ता

द्वारा दिये गये आदेश दि 23-12-2016

की अग्रसन्नता से राज् टी0एक्ट की धारा
225 के अंतर्गत अमील बमुकदमे प्रकरण संख्या

100/2016 बनवान ओम्पकाश बनाम सत्यनाराय
वगेरा,

मान्यवर,

अमील निम्न कारणों से अमील परस्तुत करते है :-

द. हरदेव

यह कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय दि 23-12-16